तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	19/2/2021 वकील अप्रार्थी सं. 1 ता 3 द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र 151 CPC व मिसल तलबी पेश होने पर पत्रावली नियत तारीख पेशी से तलब की जाकर आज पेश हुई। वास्ते जवाब प्रा०पत्र 151 CPC पत्रावली दिनांक 25/2/2021 को पेश हो। 25/02/2021 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उप०। वकील प्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना-पत्र U/s 151 CPC पेश किया गया जिसकी नकल वकील प्रतिपक्ष/अप्रार्थीगण को दिलाई गई। वकुलाय उभय पक्ष को प्रकरण में बहस हेतु अनुदत्त समय उपरान्त बहस वकुलाय उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील आवेदक (अप्रार्थीगण) ने अपने प्रार्थना पत्र U/s 151 CPC में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए हस्तगत प्रार्थना-पत्र T.I. खारिज फरमाने का निवेदन किया। वकील आवेदक (अप्रार्थीगण) की बहस के जवाब में वकील प्रतिपक्ष/प्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रा० पत्र U/s 151 CPC में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए हस्तगत प्रकरण में विवादित अप्रार्थीगण से जवाब लिया जाकर मूल प्रा० पत्र T.I. का निस्तारण फरमाने एवं प्रा० पत्र U/s 151 CPC को सव्यय खारिज फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व	उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रेकार्ड, प्रा० पत्र u/s 151 CPC एवं जवाब प्रा० पत्र u/s 151 CPC तथा पूर्ववर्ती विचाराधीन मुकदमात दावा, दावा व T.I. का अवलोकन किया गया। चूंकि हस्तगत प्रा० पत्र T.I. के वादी पक्षकारान द्वारा सर्वप्रथम उनवानी दावा "किशनदयाल v/s बरजी देवी वगै०" न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त वादपत्र के विचाराधीन होने के दौरान हस्तगत प्रा० पत्र T.I. में अप्रार्थीगण द्वारा "बरजी देवी बनाम किशनदयाल वगै०" प्रा० पत्र टी० आई० प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रा० पत्र में न्यायालय हाजा द्वारा विवादित पक्षकारान को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये है। इसी दौरान हस्तगत प्रा० पत्र प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए "वाद बाहुल्यता" को न्यायालयी दायित्वानुसार रोकने के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रा० पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र u/s 151 CPC स्वीकार किया जाकर, प्रा० पत्र T.I. इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 25/02/2021 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर न्यायालयी मुद्रा सहित खुले न्यायालय में सुनाया गया। (… कुमार) RAS उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)	

उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)

Scanned with CamScanner